संख्या 705 /रा0यो0आ0/2006

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त, कुमाँयू/गढ़वाल
2– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़, चम्पावत, उधमसिंहनगर, चमोली, उत्तरकाशी।

राज्य योजना आयोग। देहरादूनः दिनांक 10 अप्रैल, 2006

विषयः **सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी0ए0डी0पी0) के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश एवं वर्ष 2006–07 के लिए प्रस्ताव का सम्प्रेक्षण तथा विवेचना।**

महोदय,

उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी0ए0डी0पी0) के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2006–07 की कार्य योजना यथाशीघ्र उन्हें उपलब्ध करा दी जाय। अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए भारत सरकार के संशोधित दिशा–निर्देश अप्रैल, 2005 (प्रतिलिपि संलग्न–2) के अनुरूप निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार योजनायें तैयार कर 30 अप्रैल, 2006 तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

1– इस योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से दूरी के आधार पर सीमान्त क्षेत्र विकास खण्डों के दूरस्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे ग्रामों के लिए अवरोही क्रम में क्षेत्र के लिए योजनायें तैयार की जाय अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गाँवों को सर्वप्रथम आच्छादित किया जाय और इनके आच्छादित होने के उपरान्त ही अन्य ग्रामों को लिया जाय। इनके नाम एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से इनकी दूरी भी योजना में अंकित की जाय।

2– योजना को तैयार किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना सीमान्त क्षेत्र विकास खण्ड के शहरी क्षेत्र एवं विकास खण्ड/तहसील मुख्यालय से सम्बन्धित न हो।

3– जिस सीमान्त क्षेत्र विकास खण्ड के लिए योजना तैयार की जा रही है उनके अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले ग्रामों का उल्लेख भी योजना में प्रस्तावित किया जाय।

4– आई0टी0बी0पी0 एवं एस0एस0बी0 को जिन निर्माण कार्यो के लिये धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी थी उन योजनाओं के अतिरिक्त भविष्य में आई0टी0बी0पी0 एवं एस0एस0बी0 को निर्माण कार्य न दिये जायें, तद्सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को दिये जायें।

......2/

5– जिन योजनाओं का समावेश जिला एवं राज्य सेक्टर में पूर्व से ही चालू योजना के अन्तर्गत जिला योजना एवं अन्य योजनाओं में किया गया है उन योजनाओं को इसमें प्रस्तावित न किया जाय अर्थात योजनाओं की पुनरावृत्ति न की जाय।

6– योजनाओं का चयन इस प्रकार किया जाय कि क्षेत्र में भौतिक रूप से कार्य दृष्टिगोचर हो सके।

7– योजनावार वित्तीय विवरण प्रस्तावित करते समय उसके सापेक्ष भौतिक लक्ष्य भी इंगित किये जाय।

8– निर्माण सम्बन्धी कार्यो के लिए भूमि का चयन एवं विधिवत आंगणन तैयार करने के पश्चात ही योजना प्रस्तावित की जाय।

9– आगामी वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित मानकों के अनुसार रू0 13.71 करोड़ की जो धनराशि उत्तरांचल को आवंटित की गई है उसकी फांट संलग्न–1 है।

10– जनपदवार /विकास खण्डवार संलग्नक फांट में आवंटन के अनुसार प्रस्तावित धनराशि के समतुल्य जनपदों से बी0ए0डी0पी0 सम्बन्धी कार्य योजना राज्य योजना आयोग को 30 अप्रैल, 2006 तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

10/4

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्याः (1)/रा0यो0आ0/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– विशेष कार्याधिकारी, श्री पन्त मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, आई0टी0बी0पी0, सीमाद्धार देहरादून।
5– महानिरीक्षक, एस0एस0बी0, रानीखेत।
6– एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल0 फैनई)
अपर सचिव।

c:/rana/badp0607

संलग्नक–1

बी0ए0डी0पी0 में वर्ष 2006–07 में जनपदवार/विकास खण्डवार प्रस्तावित धनराशि।

(धनराशि लाख रूपयेमें)

क्रम0 संख्या	जनपद	विकास खण्ड	प्रस्तावित कुल धनराशि
1	ऊधमसिंहनगर	खटीमा	**158.95**
2	चम्पावत	चम्पावत	109.57
		लोहाघाट	61.56
	योग		**171.13**
3	उत्तरकाशी	भटवाडी	**313.58**
4	चमोली	जोशीमठ	**223.76**
5	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	141.56
		धारचूला	231.51
		कनालीछीना	66.14
		मुनाकोट	64.37
	योग		**503.58**
	महायोग		**1371.00**